राज्यपाल ने कहा-पहले के ज्यादातर राज्यपाल ब्यूरोक्रेट थे, जबकि मैं जनता से जुड़ा कार्यकर्ता, इसलिए बदलाव स्वाभाविक

राज्यपाल का पद समाप्त करने की बात राजनैतिक : राम नाईक

बेबाक बोल

राज्य मुख्यालय | **गोलेश स्वामी**

आम जनता के लिए राजभवन के दरवाजे खोलने और सरकार को कई बार अपनी हद बताने वाले राज्यपाल राम नाईक के कार्यकाल के 22 जुलाई को दो साल पूरे हो जाएंगे।

पहले उत्तराखंड और अब अरुणाचल प्रदेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश में राज्यपालों की भूमिका को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल पद ही समाप्त करने की बात कहकर एक नई बहस छेड़ दी है। इस सवाल पर श्री नाईक बड़ी साफगोई से कहते हैं कि राज्यपाल का पद समाप्त करने का मुद्दा राजनैतिक है। मैं इस समय राज्यपाल हूं, इसलिए मेरा इस मुद्दे के राजनैतिक पहलू पर कुछ कहना उचित नहीं होगा। मेरा यह प्रयास रहेगा कि संविधान के दायरे में रहकर काम करूं। संविधान की लक्ष्मण रेखा नहीं लांघूगा। मैं अपने कार्य और व्यवहार में ऐसा प्रयास करूंगा कि कोई आक्षेप न लगा सके।

श्री नाईक ने कहा कि पहले के ज्यादातर राज्यपाल ब्यूरोक्रेट थे, जबकि मैं जनता के बीच काम करने वाला राजनैतिक कार्यकर्ता रहा हूं। ऐसे में बदलाव स्वाभाविक है। मेरी दो साल की उपलब्धियों का आकलन मीडिया और जनता करेगी। मेरा काम पारदर्शिता के साथ यूपी के विकास और प्रशासन के काम में योगदान देना है। वैसे वर्ष 1978 में जब में पहली बार विधायक बना, तबसे आज तक जवाबदेही की भूमिका में हूं। मेरे जीवन के अनुभवों पर आधारित

राज्यपाल राम नाईक

मराठी संकलन चरैवेति-चरैवेति (चलते रहो-चलते रहो) का अगले महीने हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और गुजराती में प्रकाशन होगा।

सीएम से मांगी रिपोर्ट

राज्यपाल ने कहा कि मथुरा, कैराना और दादरी की घटनाएं यूपी में कानून-व्यवस्था की दृष्टि से गंभीर हैं घटनाएं हैं। मैंने इन पर सीएम अखिलेश से रिपोर्ट मांगी। उन्होंने रिपोर्ट दी। मैंने रिपोर्ट के अध्ययन के बाद अपनी रिपोर्ट से राष्ट्रपति व पीएम को अवगत कराया। मेरा दो वर्ष का अनुभव है कि यूपी में कानून-व्यवस्था बिगड़ने की जो घटनाएं होती हैं, उनमें ज्यादातर की जड़ में जमीन के झगड़े हैं। इसीलिए मैंने सरकार से दो साल के ऐसे मामलों पर श्वेत पत्र जारी करने को कहा है।